

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5706

04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत किशोरियों में रक्ताल्पता नियंत्रण

5706. श्रीमती कृति देवी देवबर्मनः:

सुश्री कंगना रनौतः:

श्रीमती शोभनाबेन महेंद्रसिंह बारैया

श्री श्रीरंग अप्पा चंदू बारणे:

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः

श्रीमती भारती पारधीः

डॉ. राजेश मिश्राः

श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः

श्री खगेन मुर्मुः

श्री मनीष जायसवाल

श्री अनिल फिरोजिया:

श्री चिंतामणि महाराजः

श्री दिलीप शइकीया:

श्री भोजराज नागः

श्री पी. सी. मोहनः

श्री छत्रपाल सिंह गंगवारः

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) फरवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार, मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से किशोरियों में रक्ताल्पता नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा कितनी निधि आवंटित और खर्च की गई है;
- (ख) देश में उक्त पहल के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों का, विशेषकर मध्य प्रदेश, असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों और महाराष्ट्र में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने किशोरियों में रक्ताल्पता को नियंत्रित करने के लिए कोई जागरूकता अभियान चलाया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (घ) क्या उक्त मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के महासुन्द, धमतरी और गरियाबंद जिलों तथा गुजरात के जनजातीय बहुल जिलों में आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से किशोरियों में रक्ताल्पता नियंत्रण के लिए कोई विशिष्ट उपाय/विशेष पहलें की गई हैं;
- (ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (च) फरवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार, इन जिलों के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि का व्यौरा क्या है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च) : आयुष मंत्रालय (एमओए) और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने दिनांक 26 फरवरी, 2024 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जिसका उद्देश्य मिशन उत्कर्ष के तहत पांच चिन्हित जिलों अर्थात् असम-धुबरी, छत्तीसगढ़-बस्तर, झारखंड-पश्चिमी सिंहभूम, महाराष्ट्र- गढ़चिरौली और राजस्थान-धौलपुर में आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से किशोरियों (14-18 वर्ष) की स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार लाना है और उनमें रक्ताल्पता को नियंत्रित करना है।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, दोनों मंत्रालयों को इस परियोजना के लिए वित्त पोषण का 50-50% योगदान करना है। इस परियोजना के लिए स्वीकृत कुल बजट 24,95,88,650 रुपये (चौबीस

करोड़ पचानवे लाख अट्टासी हजार छह सौ पचास रुपये मात्र) है। दिनांक 28 फरवरी 2025 तक, जारी की गई कुल राशि 15,47,92,821 रुपये (पंद्रह करोड़ सैंतालीस लाख बानवे हजार आठ सौ इक्कीस रुपये) है, जिसमें एमओए से 10,30,98,111 रुपये (दस करोड़ तीस लाख अट्टानवे हजार एक सौ ग्यारह) और एमडब्ल्यूसीडी से 5,16,94,710 रुपये (पांच करोड़ सोलह लाख चौरानवे हजार सात सौ दस) शामिल हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस परियोजना के बारे में, कार्यान्वयन में उनकी भूमिका तथा इस परियोजना में प्रयुक्त आयुर्वेद उपचारों के बारे में जानकारी दी जाती है। लाभार्थियों को सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) सामग्री तथा जागरूकता व्याख्यानों के माध्यम से भी रक्ताल्पता के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाती है। उपर्युक्त पांच जिलों में किशोरियों के लिए एमडब्ल्यूसीडी की योजना के पंजीकृत लाभार्थियों का आयुष दलों द्वारा उनके रक्ताल्पता संबंधी संकेतों और लक्षणों का आकलन किया जाता है और इन जिलों में व्यास रक्ताल्पता की स्थिति के मद्देनजर पौष्टिक आहार में वृद्धि करने तथा उसमें सुधार लाने के लिए उन्हें आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध कराए जाते हैं।
